भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 224

सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947, (शक)

उच्च वेतन पर पीएफ पेंशन

224. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भविष्य निधि (पीएफ) की उच्च वेतन पर पेंशन के लिए किए गए बड़ी संख्या में आवेदन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा अस्वीकार किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) प्राप्त किए गए उक्त आवेदनों की कुल संख्या कितनी है और अब तक स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित आवेदनों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा लंबित आवेदनों का अविलंब निपटारा सुनिश्चित करने के लिए कोई तात्कालिक उपाय किए जाने की योजना है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): ईपीएफओ ने माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के अपने निर्णय के निदेशों के अनुसार उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदनों की प्रोसेसिंग और निपटान कर दिया है।

उच्च वेतन पर पेंशन प्रदान करने के आवेदनों की स्थिति का विवरण अनुबंध में है।

*   ******

<u>**अनुबंध**</u>

‘उच्च वेतन पर पीएफ पेंशन’ के संबंध में दिनांक 21.07.2025 को एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 224 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 16.07.2025 तक पीओएचडब्ल्यू आवेदनों का अंचल-वार निपटान				
अंचल कार्यालय	**फील्ड कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों की कुल सं.**	**पीओएचडब्ल्यू के लिए पात्र आवेदकों को जारी मांग पत्रों की संख्या**	**अस्वीकृत आवेदनों की संख्या**	**लंबित आवेदन की संख्या**
आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)	56,799	25,964	30,093	742
बेंगलुरु (बेंगलुरु)	1,09,305	10,136	98,915	254
बिहार और झारखंड (पटना)	29,943	8,713	20,876	354
चेन्नई और पुदुचेरी (चेन्नई)	72,040	7,622	63,026	1,392
दिल्ली, उत्तराखंड और जम्मू	95,418	28,939	63,602	2,877
गुजरात (अहमदाबाद)	96,846	4,799	91,965	82
हरियाणा	31,738	12,880	18,853	5
कर्नाटक (बेंगलुरु के अलावा) और गोवा (हुब्बली)	91,699	11,623	79,363	713
केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)	81,662	43,176	36,178	2,308
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)	67,605	19,125	47,507	973
महाराष्ट्र (मुंबई के अलावा) (पुणे)	1,26,305	6,113	1,19,382	810
मुंबई-1 (बांद्रा)	1,26,441	5,842	1,19,957	642
मुंबई-2 (ठाणे)	28,984	4,182	23,707	1,095
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)	10,927	6,653	4,269	5
ओडिशा (भुवनेश्वर)	49,234	20,180	26,503	2,551
पंजाब और हिमाचल प्रदेश	44,946	26,558	14,991	3,397
राजस्थान	38,785	8,251	30,500	34
तमिलनाडु (चेन्नई के अलावा)	77,106	17,747	59,181	178
तेलंगाना (हैदराबाद)	1,65,335	83,733	78,902	2,700
उत्तर प्रदेश	65,179	19,120	45,948	111
पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और सिक्किम (कोलकाता)	57,853	29,217	27,864	772
कुल	**15,24,150**	**4,00,573**	**11,01,582**	**21,995**

******